AS
1

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

निर्वाचन अपील संख्या –47/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. श्रीमति सन्तोष पत्नी रामप्रकाश 2. राजेन्द्र डूकिया पुत्र रामप्रकाश 3. पवन डूकिया पुत्र रामप्रकाश जातियान जाट निवासी घर संख्या 436 ग्राम बोडवा जिला नागौर		निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (सहा.कलक्टर मु0) नागौर

उपस्थिति :–

अपीलान्ट संख्या 1 श्रीमति सन्तोष पत्नी रामप्रकाश व 2 राजेन्द्र डूकिया पुत्र रामप्रकाश

निर्णय **दिनांक : 13 जनवरी, 2020**

1. अपीलान्टस्/प्रार्थीगण ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 479/2020 सन्तोष वगैरह में पारित आदेश दिनांक 09.01.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 10.01.2020 को यह अभ्यावेदन पेश किया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रकरण निर्वाचन अपील के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (सहा.कलक्टर मु0) नागौर से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर बिन्दुवार टिप्पणी ली गई। अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर अपीलान्ट की बहस सुनी गई।
2. अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण पहले कुचेरा में निवास करते थे वर्तमान में ग्राम बोडवा में निवास करते है जहां पर उनके नाम से राशन कार्ड संख्या 200004714179 ग्राम बोडवा पं.सं. मूण्डवा का बना हुआ है। प्रार्थीगण ने ग्राम कुचेरा की मतदाता सूची में से विधिवत फार्म भरकर अपना नाम वहां से कटवा लिया है। प्रार्थीगण का रहवास ग्राम बोडवा में होने के कारण ग्राम बोडवा की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने बाबत प्रार्थीगण ने विधिवत रूप से आवेदन पेश कर दिया है। प्रार्थीगण का निवास ग्राम बोडवा में है इस बारे में संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें भी प्रार्थीगण का निवास स्थान ग्राम बोडवा ही आया है। प्रार्थीगण का नाम आज दिन तक ग्राम बोडवा की मतदाता सूची में नहीं जोडा गया है। प्रार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एक याचिका पेश की, उक्त याचिका में दिनांक 09.01.2020 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि प्रार्थीगण अपना रिपर्जेन्टेशन जिला कलक्टर नागौर के समक्ष करे और जिला कलक्टर नागौर द्वारा तीन दिवस के भीतर–भीतर इस संबंध में समुचित आदेश पारित करने के निर्देश दिये जाना बताते हुए यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण ने अपना रहवास कुचेरा से हटाकर ग्राम बोडवा कर लिया है तथा ग्राम कुचेरा की मतदाता सूची से उनका नाम भी हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में आज दिन प्रार्थीगण का नाम राजस्थान की किसी भी मतदाता सूची में नहीं है तथा प्रार्थीगण मतदान जैसे अमूल्य अधिकार से वंचित हो रहे है जो स्पष्ट रूप से प्रार्थीगण के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होने का कथन करते हुए प्रकरण में तत्काल कार्यवाही की जाकर प्रार्थीगण का नाम ग्राम बोडवा की मतदाता सूची में जोडे जाने का निवेदन किया है।

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

3. अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 479/2020 सन्तोष वगैरह में पारित आदेश दिनांक 09.01.2020 की प्रमाणित प्रति, राशन कार्ड संख्या 200004714179 की छांयाप्रति, प्ररूप संख्या 7 में प्रार्थीगण के आवेदन की पावती/रसीद दिनांक 04.11.2019 की छांयाप्रतियां, भू–अभिलेख निरीक्षक कुचेरा, रोल एंव पटवारी बोडवा की निवास के संबंध में जांच रिपोर्ट दिनांक 21.12.2019 की छांयाप्रति, प्रार्थीगण का आवेदन प्ररूप 1 की रसीदों की छांयाप्रतियां प्रस्तुत की है।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 479/2020 सन्तोष वगैरह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 09.01.2020 को निम्नानुसार आदेश पारित किया है– "In the circumstances of the case, the petitioners may approach the chief Electoral officer/District collector, Nagaur in this Regard by way of a representation and the District Collector would decide the same within a period of three days from the date a representation is made alongwith a copy of this order is placed before the said authority. With the above directions, the petition filed by the petitioners stand disposed of."

5. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (सहा.कलक्टर मु0) नागौर ने अपनी बिन्दुवार टिप्पणी दिनांक पत्रांक–पं.चु./2020/6 दिनांक 13.01.20 से अवगत कराया है कि अपीलान्ट ने ग्राम कुचेरा में राशन कार्ड संख्या–110701800189 बना रखा है, जिसमें सभी अपीलान्ट के नाम भी दर्ज है। अपीलान्टस् ने राशन कार्ड में अपने नाम नहीं कटवाकर फर्जी तरीके से दुसरा राशन कार्ड ग्राम बोडवा से बना लिया है, जो सन्देह के दायरे में है। अपीलान्टस् का कथन कि उन्होने अपने नाम मतदाता सूची से नाम कटवा लिए है, जबकि आदिनांक लोक सभा क्षेत्र नागौर (14) विधान सभा क्षैत्र खींवसर (110) के बूथ संख्या 203 के कमांक 1136, 1141 पर इनका नाम दर्ज है। स्थानीय निकाय नगर पालिका कुचेरा के वार्ड संख्या 18 की मतदाता सूची 2015 में आदिनांक कमांक 831 एवं 1057 पर इनका नाम दर्ज है। अपीलान्ट ने स्थानीय निकाय नगरपालिका कुचेरा के वार्ड संख्या 18 से नाम हटाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र नहीं किया है। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कुचेरा की जॉच में अपीलान्ट का निवास लुणसरा रोड़ पर स्थित मौहल्ला होली निम्बड़ा कुचेरा होना पाया गया। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा दो–दो जगह राशन कार्ड बना रखे है, एवं स्थानीय निकाय नगर पालिका (शहरी क्षैत्र) की सूची में नाम दर्ज होने से दूसरी ग्राम पंचायत बोडवा (ग्रामीण क्षैत्र) आवेदन पर राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 14, 15 व 16 के तहत अपीलान्टस् का नाम जोड़ने योग्य नहीं बताया है।

6. अपीलांट्स/प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकॉर्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्टस् ने अपना नाम ग्राम बोडवा की मतदाता सूची में जोड़ने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड संख्या 200004714179 की छाया प्रति के अनुसार उक्त राशन कार्ड में सभी अपीलान्टस् के नाम दर्ज है, जिसमें अंकित पते अनुसार अपीलान्ट ग्राम बोडवा पंचायत समिति मूण्डवा जिला नागौर के निवासी है। इसी प्रकार अपीलान्ट का एक ओर राशन कार्ड संख्या–110701800189 की ऑन लाईन प्रति रेस्पोडेन्ट द्वारा भिजवाई गई उसमें उक्त सभी अपीलान्ट का नाम दर्ज है तथा उक्त राशन कार्ड के अनुसार होली निम्बड़ा के पास, 18 नागौर के निवासी है। इस तथ्य की ताईद अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डल कुचेरा की रिपोर्ट कमांक–स्पे.–1 दिनांक 29.12.2019 से होती है। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डल कुचेरा की रिपोर्ट के अनुसार सभी अपीलान्टस् का निवास स्थान लुणसरा रोड़ होली निम्बड़ा कुचेरा में पाया गया है। अपीलान्ट का कथन कि अपीलान्टस् ने अपना रहवास कुचेरा

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

से हटाकर ग्राम बोडवा कर लिया है तथा ग्राम कुचेरा की मतदाता सूची में से उनका नाम भी हटा दिया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार टिप्पणी के अनुसार आदिनांक लोक सभा क्षेत्र नागौर (14) विधान सभा क्षेत्र खींवसर (110) के बूथ संख्या 203 के कमांक 1136, 1141 पर दर्ज है एवं स्थानीय निकाय नगर पालिका कुचेरा के वार्ड संख्या 18 की मतदाता सूची 2015 में आदिनांक कमांक 831 एवं 1057 पर अपीलान्ट सन्तोष व राजेन्द्र का नाम दर्ज है, जिसकी पुष्टि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्तानुसार मतदाता सूची से होती है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बिन्दुवार टिप्पणी में यह भी स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट ने स्थानीय निकाय नगरपालिका कुचेरा के वार्ड संख्या 18 से नाम हटाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र नहीं किया है। अपीलान्ट ने भी ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे यह साबित हो कि अपीलान्ट द्वारा नगर पालिका कुचेरा के वार्ड संख्या 18 से नाम हटाने हेतु कोई आवेदन भी पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलान्ट दोहरे स्थानों पर अपना नाम जुड़वाना चाहता है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–18 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के संबंध में प्रावधान यथाविहित किये गये है, जिसके प्रावधान इस प्रकार है। "18. निर्वाचक और निर्वाचक नामावलियां– ऐसे वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों में से, जिनमें किसी पंचायती राज संस्था के क्षेत्र को इस अधिनियम के अधीन विभक्त किया गया है, प्रत्येक के लिए उसकी निर्वाचक नामावली राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन विहित रिति से तैयार की और रखी जायेगी।
(2) उप धारा (3) से (6) के उपबन्धों के अध्यधीन, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो–
(क)–अर्हता की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, और
(ख)–संबंधित पंचायती राज संस्था के किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र का साधारणतया निवासी है, उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार होगा।"

उपर्युक्तानुसार किये गये तात्विक एवं विधिक विवेचन के अनुसार अपीलान्टस् नगर पालिका कुचेरा के वार्ड संख्या 18 का मूल एवं साधारण निवासी वर्तमान में है। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कुचेरा ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्टतया अपीलान्टस् को नगर पालिका कुचेरा के वार्ड संख्या 18 मौहल्ला होली निम्बड़ा का निवासी बताया है। नगर पालिका की मतदाता सूची 2015 वार्ड संख्या 18 कमांक 831 एवं 1057 पर अपीलान्ट सन्तोष व राजेन्द्र का नाम दर्ज है, जिसे विलोपित करवाने बाबत कोई कार्यवाही आदिनांक अपीलान्टस् द्वारा नहीं की गई है। फलत् एक व्यक्ति का नाम दो स्थानीय निकाय संस्थाओं की मतदाता सूची में पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता। अपीलान्टस् द्वारा अपने निवास प्रमाण स्वरूप बनाये गये राशन कार्ड भी छद्म एवं मिलीभगत पूर्वक बनवाये गये। एक व्यक्ति विधि अनुसार एक स्थान पर ही अपना राशन कार्ड रख सकता है। फलत् अपीलान्टस् राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 18 के तहत ग्राम पंचायत बोडवा का साधारणतः निवासी नही है। अपीलान्टस् ने पंचायती राज सस्थाओं का चुनाव लड़ने मात्र के उद्देश्य से छद्म एवं बनावटी तौर पर साक्ष्य प्राप्त कर इन साक्ष्यों की बिनाय पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का प्रयत्न किया जो उपर विवेचित विधिक एवं तात्विक दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। लिहाजा अपील अपीलान्ट बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (सहा.कलक्टर मु0) नागौर को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

17/1/2020

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 14:53:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: